



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-2375/MH/140/2023-RO-BH

दिनांक: 08/07/2026.

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला-छत्रपती संभाजीनगर,
कलेक्टर कार्यालय,
छत्रपती संभाजीनगर, महाराष्ट्र-431001
ई-मेल: collector.chsambhajinagar@maharashtra.gov.in

विषय: वर्षों से काबिज भूमि का वन अधिकार हक / मालिकाना हक प्रदान करने के सम्बंध में श्री अशोक माणिक भील, मुक्काम-किन्ही, पोस्ट-वडगांव (तिगजी), तहसील-सोयगांव, जिला-औरंगाबाद, महाराष्ट्र से प्राप्त दिनांक 04.10.2023 का अभ्यावेदन।

संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 03.11.2023 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लेखित प्रकरण का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-1, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में दिनांक 21.07.2026 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि पर उक्त प्रकरण से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष परीक्षण के लिए अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(पूर्णन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री अशोक माणिक भील,
मुक्काम-किन्ही, पोस्ट-वडगांव (तिगजी),
तहसील-सोयगांव, जिला-औरंगाबाद, महाराष्ट्र
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में
आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

(मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के लिये क्षेत्रीय कार्यालय)
(REGIONAL OFFICE FOR MADHYA PRADESH, MAHARASHTRA, KARNATAKA, KERALA, GOA, DADRA & NAGAR HAVELI AND LAKSHADWEEP)

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-2375/MH/140/2023-RO-BH

दिनांक: 03/11/2023

1. श्री आस्तिक कुमार पाण्डेय
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
जिला कलेक्टर कार्यालय,
जिला-औरंगाबाद,
महाराष्ट्र- 431001
Email Id: collector.aurangabad@maharashtra.gov.in
Tel. No: 02402331200

विषय: श्री अशोक माणिक भील, मु. किन्ही, पोस्ट-वडगांव (तिगजी), तह. सोयगांव, जिला औरंगाबाद (महाराष्ट्र) - वर्षों से काबिज भूमि का मालिकाना हक प्रदान करने के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को Ashok Manik Bhil से दिनांक 04/10/2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबंधित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' जारी कर सकता है।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री अशोक माणिक भील,
मु. किन्ही, पो. वडगांव (तिगजी),
तह. सोयगांव, जिला औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
Mobile No: 9545798557

01c

(अंकित कुमार सेन)
अनुसंधान अधिकारी

कार्यालय निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित
जनजाति आयोग क्षेत्रीय
Office of the Director, National
Commission for Scheduled Tribes, Bhopal
फोन नंबर: 2785786
दिनांक: 07/11/23

कमरा नं. 309, निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-ए, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल -462011
Room No. 309, Nirman Sadan, C.G.O. Bldg., 52-A, Arera Hills, Hoshangabad Road, Bhopal-462011
Email: ro-bhopal@ncst.nic.in, Telefax : 0755-2576530, 2578272